# राजस्थान सरकार
# परिवहन विभाग

सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11 जी जयपुर, दिनांक : 22.7.2000

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11 एफ, दिनांक 31.03.2000 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा दिनांक 1.8.2000 से इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 1 में विनिर्दिष्ट इस राज्य के संविदा गाड़ी परमिटों, अस्थायी और गैर अस्थायी दोनों परमिटों तथा बिना परमिट भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाये जा रहे यात्री यानों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है :–

**सारणी**

| क्र. सं. | परिवहन यान का वर्णन | विशेष सड़क कर की वार्षिक दर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | **गैर अस्थायी परमिटों पर चलाये जा रहे तिपहिया मोटर यान–** | |
| | (i) 80,000/–रु. तक की लागत वाले यान | यान की लागत का 0.125% |
| | (ii) 80,000/–रु. से अधिक की लागत वाले यान | यान की लागत का 0.50% |
| | (iii) 80,000/–रुतक की लागत वाले चैसिस | चैसिस की लागत का0.60% |
| | (iv) 80,000/–रु. से अधिक की लागत वाले चैसिस | चैसिस की लागत का0.80% |
| 1. | **गैर अस्थायी परमिटों पर चलाये जा रहे चौपहिया मोटर यान** | |
| | (i) ड्राईवर को छोड़कर 5 तक की सीट क्षमता वाले | यान की लागत का 0.80% |
| | (ii) ड्राईवर को छोड़कर 5 से अधिक किन्तु ड्राईवर को छोड़कर 8 तक की सीट क्षमता वाले | यान की लागत का 1.75% |
| | (iii) ड्राईवर को छोड़कर 9 तक सीट क्षमता वाले | यान की लागत का 3.0% |
| | (iv) ड्राईवर को छोड़कर 9 से अधिक किन्तु ड्राईवर को छोड़कर 13 तक की सीट क्षमता वाले | |
| | (क) चैसिस के रुप में क्रय किये जायें | चैसिस की लागत का 4% |

(ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें यान की लागत का 2%

(v) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 13 से अधिक और ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की सीट क्षमता वाले

(1) चैसिस के रूप में क्रय किये गये

(क) साधारण चैसिस की लागत का 10%

(ख) साधारण से भिन्न चैसिस की लागत का 16%

(2) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये गये

(क) साधारण यान की लागत का 9%

(ख) साधारण से भिनन यान की लागत का 14%

(vi) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक और ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 तक की सीट क्षमता वाले

(1) चैसिस के रुप में क्रय किये गये

(क) साधारण चैसिस की लागत का 20%

(ख) साधारण से भिन्न चैसिस की लागत का 30%

(2) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये

(क) साधारण यान की लागत का 15%

(ख) साधारण से भिन्न यान की लागत का 22%

(vii) ड्राईवर और कन्डक्टर को छोड़कर 30 से अधिक और ड्राईवर और कन्डक्टर को छोड़कर 40 तक की सीट क्षमता वाले

(1) चैसिस के रुप में क्रय किये गये

(क) साधारण चैसिस की लागत का 30%

(ख) साधारण से भिन्न चैसिस की लागत का 36%

(2) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये

(क) साधारण यान की लागत का 15%

(ख) साधारण से भिन्न यान की लागत का 22%

(viii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 40 से अधिक सीट क्षमता वाले

(1) चैसिस के रुप में क्रय किये गये

(क) साधारण चैसिस की लागत का 30%

(ख) साधारण से भिन्न चैसिस की लागत का 36%

(2) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये

(क) साधारण यान की लागत का 15%

(ख) साधारण से भिन्न यान की लागत का 22%

(1) विशेष सड़क कर इस प्रकार सीमित किया जायेगा कि ड्राइवर को छोड़कर दो तक की सीट क्षमता वाले तिपहिया यानों के लिए, मोटर यान तथा विशेष सड़क कर को सम्मिलित करते हुए कर की कुल रकम 300/—रु. प्रति वर्ष से अधिक न हों।

(2) ऊपर स्तंभ सं. 1 के नीचे खण्ड 1 और खण्ड सं. 2 के उपखण्ड (i), (ii), (iii) में यथा वर्णित यात्री यान यदि बिना परमिट के भाडे या पारिश्रमिक पर चलते हुए पाये जायें तो ऐसे यान, उसी प्रकार के गैर अस्थायी संविदा गाडी परमिटों के अन्तर्गत आने वाले यानों के लिए यथा अधिसूचित विशेष सड़क कर का उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें यान भाड़े या परिश्रमिक पर चलता हुआ पाया गया था, संदाय करने के दायी होंगे तथा खण्ड सं. 2 के उपखण्ड (iv),(v),(vi),(vii),(viii) में ऊपर यथा वर्णित यात्री यान यदि बिना परमिट के भाडे या पारिश्रमिक पर चलते हुए पाये जायें तो ऐसे यान, उसी प्रकार के गैर अस्थायी संविदा गाडी परमिटों के अन्तर्गत आने वाले यानों के लिए यथा अधिसूचित विशेष सडक कर का, उस सम्पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए जिसमें यान भाडें या पारिश्रमिक पर चलता हुआ पाया गया था, संदाय करने के दायी होंगें ।

(3) खण्ड 2 के उप खण्ड (iv),(v),(vi),(vii),(viii) के अधीन आने वाले ऐसे मोटर यानों के लिए जो अनन्य रुप से नगरपालिका सीमाओं या नगर विकास न्यास में चल रहे है, विशेष सडक कर प्रत्येक के सामने स्तम्भ संख्या 2 में यथा वर्णित दर का 50 प्रतिशत संदेय होगा ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | | अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तिपहिया यान | 35 रु. प्रतिदिन |
| 4. | | अस्थायी परमिटों पर चलने वाले चौपहिया यान | |
| | (i) | ड्राइवर को छोड़कर 5 तक की सीट क्षमता वाले | 40 रु. प्रतिदिन |
| | (ii) | ड्राइवर को छोड़कर 5 से अधिक किन्तु ड्राइवर को छोड़कर 12 से अनधिक की सीट क्षमता वाले | 80 रु. प्रतिदिन |
| | (iii) | ड्राइवर को छोड़कर 12 से अधिक किन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर को छोडकर 20 से अनधिक की सीट क्षमता वाले | 400 रु. प्रतिदिन |
| | (iv) | ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक सीट क्षमता वाले | |
| | (क) | गैर अस्थायी मंजिली गाडी परमिट के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों के लिए (अनन्य रूप से नगरपालिका सीमाओं में चलने वालों से भिन्न) | 500 रु. प्रतिदिन |
| | (ख) | उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों से भिन्न | 800 रु. प्रतिदिन |

टिप्पणी :– किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय–V के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी इस अधिसूचना के प्रवृत होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जावेगी जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थी ।

स्पष्टीकरण :–

(i) कर की संगणना के लिये यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन स्पष्ट की गयी है ;

(ii) संविदा गाडी के लिए कर की दर के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति ''साधारण यान'' से चैसिस पर आडे 3 x 2 सीट की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है;

(iii) संविदा गाडी के लिए कर की दर के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति ''साधारण से भिन्न यान'' से चैसिस पर आडे 2 x 2 या 2 x 1 सीट की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है ।

**राज्यपाल के आदेश से,**
**शासन उप सचिव**